राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

फा-4-150/2017/एनआईओएस/मूल्यांकन/क्षे.कें./1056 **14 अगस्त, 2017**

कार्यालय आदेश - 224/2017

कार्यालय आदेश संख्या 220/2017, दिनांक 01 अगस्त, 2017 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि एनआईओएस के सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए सभी निजी, राज्य/केंद्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र और राज्य के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

सीसीटीवी लगाने के लिए भुगतान के निम्नलिखित नियम अपनाए जाएं :-

1. **संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के आयोजन के लिए सीसीटीवी हेतु परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित प्रत्येक परीक्षा केंद्र को रु. 10,000/- (दस हजार) की एक समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा।**
2. **प्रत्येक परीक्षा केंद्र रु. 10,000/- (दस हजार) की राशि के अतिरिक्त संपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा के लिए रु. 20/- प्रति शिक्षार्थी की राशि भी दी जाएगी।**
3. **क्षेत्रीय निदेशक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में कम से कम 100 शिक्षार्थी हों।**
4. **विशेष परिस्थितियों में, यदि किसी क्षेत्रीय केंद्र में 100 से अधिक शिक्षार्थी आबंटित हैं तो क्षेत्रीय निदेशकों को निदेशक (मूल्यांकन) की पूर्व अनुमति लेनी होगी।**

क्षेत्रीय निदेशकों को सीसीटीवी लगाने की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का भी पालन करना होगा :

1. **परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षा केंद्र से परीक्षा के संपूर्ण आयोजन की रिकॉर्डिंग से संबंधित सीडी प्राप्त करनी होगी।**
2. **परीक्षा के आयोजन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का विश्लेषण तैयार करना होगा।**
3. **सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के विश्लेषण की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करनी होगी और निदेशक (मूल्यांकन) को जमा करनी होगी।**
4. **रिकॉर्डिंग में परीक्षा के आयोजन के दौरान पायी गई गड़िबड़ियों/अनियमितताओं की स्थिति में एक स्पष्टीकरण की टिप्पणी देनी होगी।**
5. **परीक्षा केंद्रों से सीडी और बिल की रसीद प्राप्त होने के बाद सीसीटीवी लगवाने के खर्च की प्रतिपूर्ति एनआईओएस की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के 15(ख) के अंतर्गत की जाएगी।**

केंद्र सरकार क्षेत्र के अंतर्गत केविसं/एनवीएस/सीटीएसए/सेना स्कूल और अन्य स्कूल सीसीटीवी का प्रबंध स्वयं करेंगे। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया सितंबर-अक्तूबर, 2017 परीक्षा से प्रभावी होगी। सभी क्षेत्रीय निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि संपूर्ण प्रक्रिया समय से पहले पूर्ण हो जाए ताकि परीक्षाओं का आयोजन सुचारू ढंग से किया जाए और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी विद्यालय परीक्षा के आयोजन के दौरान अनदेखा न छूट जाए। क्षेत्रीय निदेशक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षाओं का आयोजन परीक्षा के आयोजन के लिए उपनियमों के संबंधों के भीतर कड़ाई से किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इससे विचलन नहीं होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सी.धारूमन
निदेशक (मूल्यांकन)

वितरण :

1. **सभी विभागाध्यक्ष**
2. **अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ सहायक निदेशक (अ.का.)**
3. **संयुक्त निदेशक (प्रशा.), एनआईओएस**
4. **संयुक्त निदेशक (सीबीसी)/एसएपी को एनआईओएस वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध के साथ**
5. **उप निदेशक (मूल्यांकन/गुप्त), एनआईओएस**
6. **सहायक निदेशक (लेखा) और लेखा अधिकारी, एनआईओएस**
7. **सहायक निदेशक (परिणाम इकाई/गोपनीय), एनआईओएस**
8. **कार्यालय आदेश फाइल/गार्ड फाइल**